समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2529540-2527532
तार : यूनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731-2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर–452001

क्रमांक : सं.वि.क. / रैगिंगरोकथाम / 2019–20 / 4

दिनांक : 6 JUL 2019

प्रति,

1/ **प्राचार्य / प्रायार्या,**
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जिला इंदौर,धार,झाबुआ,खण्डवा,खरगोन,बड़वानी,बुरहानपुर,अलीराजपुर।

2/ **समस्त निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारी**
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इंदौर (म.प्र.)

विषय :–महाविद्यालयो / अध्ययनशालाओं में "रैगिंग" पर अंकुश लगाने हेतु नियमानुसार समिति का गठन करने बाबत।

महोदय / महोदया,

यू.जी.सी. एवं मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार समस्त महाविद्यालयो / अध्ययनशालाओं को सूचित किया जाता है कि, महाविद्यालय में आने वाले नये छात्रों के साथ "रैगिंग" जैसी घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु आप अपने शैक्षणिक संस्थान स्तर पर मध्यप्रदेश शासन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार समिति का गठन करें। रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है, कृपया उक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से करें एवं कृत कार्यवाही से अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग को अनिवार्यतः अवगत करावे।

संलग्न : निर्देशों / नियम की छाया–प्रति।

भवदीय,

कुलसचिव

पृष्ठा.क्रमांक : सं.वि.क. / रैगिंगरोकथाम / 2019–20 / 4

दिनांक : 6 JUL 2019

प्रतिलिपि :–

1 सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
2 माननीय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, 5वी मंजिल, सतपुड़ा भवन म.प्र. शासन, भोपाल।
3 अतिरिक्त संचालक, इंदौर संभाग इंदौर, माता जीजाबाई महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर।
4 कुलपति / कुलसचिव, के. सचिव / निज सहायक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।

sd/-

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 895 / 237 / आउशि / शाखा–5'अ' / 2015, भोपाल, दिनांक 8/10/2015

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।

2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय प्रदेश में रैगिंग के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन करने संबंधी।

संदर्भ: संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर विभाग, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 16-8 / 2015-U.5, दिनांक 19.8.2015

—0—

विभाग द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में रैगिंग रोकने के संबंध में निर्देश पत्र 402 / 83 / आउशि / शाखा–5'अ' / 2014, दिनांक 27.5.2015 जारी किये गये है।

उक्त क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर विभाग, नई दिल्ली के संदर्भित अर्द्धशासकीय पत्र में दिये गये प्रावधानों का पालन नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें तथा तत्संबंधी सूचना संस्था के सूचना पटल पर चस्पा करें।

संलग्न: संदर्भित पत्र।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. क्षमा पाण्डेय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक 895 / 237 / आउशि / शाखा–5'अ' / 2015, भोपाल, दिनांक 8/10/2015

प्रतिलिपि

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रभारी आई.टी. सेल, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

Ishita Roy
Joint Secretary (HE)
E-mail: ishita.edu@g
Tele No.: 23381721
Fax No.: 23385162

सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 115
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
SHASTRI BHAVAN
NEW DELHI-110 115

मुख्य सचिव कार्यालय
CS/GEN. 5999/2015
दिनांक 27-8-15

D.O. No. 16-8/2015-U.5

19th August, 2015

Dear Sir,

Kindly refer to the D.O. letter No.16-9/2014-U.5 dated 22nd July, 2014 regarding compliance in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 8th May, 2009 (in Civil Appeal No.887 of 2009) in the matter of University of Kerala Vs. Councils, Principals, Colleges, Kerala, and others. Copy of the judgement of the Hon'ble Supreme Court of India is available on www.courtnic.nic.in/courtnicsc.asp.

2. In this regard, you are kindly requested to direct the concerned authorities at the District level to comply with the judgement of the Hon'ble Supreme Court of India by way of:

- participating in anti-ragging Committees of educational institutions
- constituting district level Anti-Ragging committees to be headed by Dy. Commissioner/District Magistrate
- keeping vigil on incidents of ragging, taking immediate action on receiving distress message from victims of ragging.

3. You are also requested to take action regarding the following:-

- appointing State level committees to examine the problems of alcoholism in the campuses and to take immediate de-addiction measures
- setting up a State level Committee to study the psychological impact of ragging of students and take urgent and mandatory measures to prevent ragging in educational institutions
- taking e-governance initiatives, e.g. anti-ragging mobile app. to check incidents of ragging or eve teasing.

28 AUG 2015

4. You will also appreciate that there has to be a sustained awareness campaign against ragging, especially through advertisements, throughout the academic year. The State Government may, therefore, consider advising educational institutions in the State to give wide publicity against ragging.

5. It is requested that action taken report may kindly be sent to the Raghavan Committee at the following address:- Shri S. Shankar, Deputy Secretary (HE), Room No. 506 'B' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi. Email: - vjshankars@gmail.com

Warm regards,

Yours sincerely,

(Ishita Roy)

Send this letter to all concerned Universities Private & Govt wide

Shri Anthony J.C Desa
Chief Secretary,
Government of Madhya Pradesh, Bhopal

28 AUG 2015
PS Hr. Edn.

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

D.O. No.1-15/2009 (ARC) pt.III **28th May, 2018**

Dear Sir/Madam,

In pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 08.05.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, the UGC had notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009". The Regulations are available on the UGC website i.e. www.ugc.ac.in. These Regulations are mandatory for all educational institutions in the country.

As multiple mechanisms are required to ensure a ragging-free campus, here are recommendations and action steps which may be deployed in your esteemed university and all institutions under your ambit.

A. Basic Measures

1. Constitution of anti-ragging committee, anti ragging squad, setting up of Anti Ragging Cell and adequate publicity for these measures through various media are to be undertaken.
2. Mention of Anti-ragging warning in the institution's prospectus and information booklets/brochures shall be ensured.
3. Updating websites of institutions with the complete address of nodal officers related anti ragging committee with contact details.
4. In compliance of the UGC Regulations and the 2nd Amendment in the UGC Regulations regarding submission of undertaking by each student and every parent to submit an online undertaking in every academic year.
5. UGC has notified the 3rd Amendment in UGC Regulations on 29th June, 2016 to expand the definition of ragging by including the following:

   3 (i) Any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (fresher or otherwise) on the ground of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity, place of birth, place of residence or economic background.
6. Installing CCTV cameras at vital points

B. Counseling and monitoring measures

7. Regular interaction and counseling with the students can detect early signs of ragging and identification of trouble-triggers.
8. Surprise inspection at hostels, students accommodation, canteens, rest cum recreational rooms, toilets, bus-stands and any other measure which would augur well in preventing/quelling ragging and any uncalled for behavior/incident shall be undertaken.

.....contd

C. Creative Dissemination of the idea of ragging-free campus

9. Events like Anti-Ragging workshops, seminars and other creative avenues to spread the idea.
10. Safety and security apps without affecting the privacy of individuals can be creatively deployed.

D. Using other UGC initiated measures

11. Students in distress due to ragging related incidents can call the National Anti-ragging Helpline **1800-180-5522 (24x7 Toll Free)** or e-mail the Anti-Ragging Helpline at helpline@antiragging.in.

12. For any other information regarding ragging, please visit the UGC website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in and contact UGC monitoring agency i.e. Aman Satya Kachroo Trust on mobile No. 09871170303, 09818400116 (only in case of emergency).

13 The UGC has got developed 4 short films and a documentary film to counsel students on ill effects of ragging. These films are uploaded on UGC website. All Universities/Institutions are requested to show these films regularly to the students during orientation and other programmes. These movies are available on the following link, ugc.ac.in/page/Videos-Regarding-Ragging.aspx.

Any violation of UGC Regulations or if any institution fails to take adequate steps to prevent ragging or does not act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators of incidents of ragging suitably, will attract punitive action under the UGC Act.

You are requested to implement the recommendations communicated vide letter dated 15.11.2017 and thereby ensure a ragging-free campus, a fundamental requirement for a supportive and fair institutional climate which is open to change, learning and progress.

With Personal regards,

Yours sincerely,

(Rajnish Jain)

The Vice-Chancellor
Devi Ahilya Vishwavidyalaya,
"Nalanda Parisar",
165, R.N. Tagore Marg,
Indore.-452 001,
Madhya Pradesh.

2

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 504 /24/आउशि/अका0प्र0/2011 भोपाल, दिनांक- 25-6-11

प्रति,

1. समस्त अतिरिक्त संचालक,
क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा,
मध्यप्रदेश

2. कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्य प्रदेश

3. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषयः- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रेगिंग पर अंकुश लगाने हेतु ।

----000----

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग पर अंकुश लगाने हेतु समितियों का गठन किया जाना है । इसके लिये इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 145/10/आउशि/अप/ दिनांक 2.2.2010 का अवलोकन करें ।

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है । इस संबंध में विस्तृत विवरण संलग्न है । कृपया निर्देशों का पालन कड़ाई से करें एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें ।

(डॉ0 के0एस0 निरंजन)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, म0प्र0

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 887 / 2009 में पारित निर्णय दिनांक 8.5.2009 के अनुसार राज्य में संचालित उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग पर अंकुश लगाने हेतु निम्नांकित समितियां गठित की जाती है:-

1. जिला स्तरीय समिति

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य / डायरेक्टर	सदस्य
4.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	सदस्य सचिव
5.	कलेक्टर द्वारा नामंकित (क) मीडिया का प्रतिनिधि (ख) अशासकीय संस्था जो युवा विकास के लिए कार्यरत हो (ग) विद्यार्थी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

समिति के कर्तव्य:-

1. ग्रीष्म कालीन अवकाश के समय शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व ही शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा रैगिंग की रोकथाम के लिये बनाई गई कार्य योजना की समीक्षा करना तथा उसका प्रचार-प्रसार करना।
2. प्रायवेट छात्रावासों का स्थानीय पुलिस / नगर पालिका / नगर निगम कार्यालय में पंजीयन कराना तथा छात्रावासों के संचालन की अनुमति प्रदान करना।
3. जिला / शहर स्तर पर एन्टी रैगिंग स्कवाड का गठन करना।
4. प्रायवेट कोचिंग केन्द्रों का पंजीयन एवं उनके आसपास स्थित चाय-पानी की दुकानों, स्वल्पाहारगृहों पर सतत निगरानी रखना।

2. विश्वविद्यालय स्तरीय समिति

प्रत्येक विश्वविद्यालय में रैगिंग पर नियंत्रण संबंधी निम्नानुसार समिति का गठन किया जावेगा। इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे:-

1.	छात्र कल्याण अधिष्ठाता	संयोजक
2.	अधिष्ठाता महाविद्यालय विकास परिषद	सदस्य
3.	प्राध्यापक / रीडर / सहा प्राध्यापक में से 2 प्रतिनिधि	सदस्य

4. कुलसचिव / उपकुलसचिव / सहा.कुलसचिव सदस्य

समिति के कर्तव्य :–

1. अपने अधिकार क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं से समन्वय करना।

2. संस्था प्रमुखों से रैगिंग संबंधी संस्था स्तर पर गठित समितियों स्कवॉड तथा प्रकोष्ठ की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना।

3. रैगिंग रोकने के तरीकों पर विचार करने के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन तथा काउन्सलिंग–सत्रों का संस्थाओं में आयोजन।

4. रैगिंग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विश्वविद्यालय अध्यादेश में व्यवस्था करना।

3.शिक्षण संस्था स्तरीय समिति:–

शैक्षणिक संस्थान रैगिंग पर नियंत्रण रखने हेतु दो समितियां गठित करेगा:–

क. रैगिंग निरोधक समिति

अध्यक्ष	प्राचार्य / डायरेक्टर / कार्यालय प्रमुख
सदस्य	जिला प्रशासन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि
सदस्य	पुलिस अधीक्षक द्वारा मनोनीत सदस्य
सदस्य	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत मीडिया का प्रतिनिधि
सदस्य	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत प्राध्यापक
सदस्य	अशासकीय संस्थान जो युवा वर्ग के विकास के लिये कार्य कर रहें हों, का प्रतिनिधि
सदस्य	पालकगण का प्रतिनिधि
सदस्य	वरिष्ठ विद्यार्थी (छात्रसंघ अध्यक्ष)
सदस्य	नये प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी

समिति के कर्तव्य:–

1.संस्थान में रैगिंग रोकने संबंधी वातावरण निर्मित करने के लिये नीति निर्धारण करना।

2. छात्र छात्राओं की समस्याओं पर विचारोपरांत निर्णय लेना।

3. रैगिंग निरोधक दस्ते को समय–समय पर मार्ग दर्शन देना।

ख. रैगिंग निरोधक दस्ता

1. संस्थान प्रमुख द्वारा मनोनीत प्राध्यापक / सहा.प्राध्यापक — सदस्य
2. संस्थान प्रमुख द्वारा अशैक्षणिक अमले से मनोनीत व्यक्ति — सदस्य
3. जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि — सदस्य
4. पुलिस अधीक्षक का प्रतिनिधि — सदस्य

रैगिंग निरोधक दस्ते के कर्तव्य–

1. यह स्क्वाड रैगिंग की रोकथाम के लिए सदैव सजग रहेगा। सत्र के प्रारंभ से ही हर विद्यार्थियों को संस्था प्रमुख, ऐन्टीरैगिंग समिति, एन्टीरैगिंग स्कवाड स्थानीय पुलिस स्टेशन तथा स्थानीय प्रशासन के दूरभाष नंबर उपलब्ध कराएगा।
2. सभी विद्यार्थियों / पालकों से यह वचन पत्र लेगा कि वे रैगिंग में भाग नहीं लेंगे और यदि वे रैगिंग में भाग लेते हैं तो उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही उन्हें मान्य होगी।
3. छात्रावास का समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण करेगा और उन स्थानों पर नियंत्रण रखेगा जहां छात्र एकत्रित होते हैं।
4. ऐन्टीरैगिंग स्कवाड, ऐन्टीरैगिंग समिति से समय समय पर मार्गदर्शन भी प्राप्त करेगा।

जिला प्रशासन के निर्देश

1. सभी निजी छात्रावासों के संचालकों के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन / स्थानीय प्रशासन में पंजीयन करवाना अनिवार्य रहेगा।
2. सभी निजी छात्रावास संचालकों तथा अशासकीय शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी रहेगी कि वे रैगिंग संबंधी घटना की रिपोर्ट दर्ज करावें।
3. स्थानीय प्रशासन, निजी छात्रावास संचालकों तथा शिक्षण संस्थानों की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वह विद्यार्थियों के आवागमन पर नजर रखें ताकि रैगिंग की संभावना न रहे। छात्रावास प्रभारी, विद्यार्थियों के लिये हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो हास्टल वार्डन को मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जावे।